न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं. : 74/2017

अनवान :

1. कृष्ण वल्द जीवनराम जाति जाट निवासी गांव जोगीवाला तहसील चौपटा जिला फतेहबाद हरियाणा।

- सायल

बनाम

1. संजय वल्द धर्मसिंह जाति जाट निवासी गांव जोगीवाला तहसील चोपटा जिला फतेहबाद हरियाणा।

- गैरसायल

दरख्वास्त बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उपस्थित : वकील श्री कालुराम शर्मा : **प्रार्थी**
वकील श्री दिवान सिंह : **अप्रार्थी**
निर्णय **दिनांक :** 28/2/18

संक्षेप में दरख्वास्त के तथ्य इस प्रकार है कि चक 8 एसडीआर तहसील भादरा के खाता सं0 22/88 के मु0नं0 22 के किला नं0 23/2 की 0.1990 है0 किला नं0 24/2 की 0.1990 है0 किला नं0 25/2 की 0.1990 है0 जिसमें गैरमुमकिन रास्ता 0.025 है0 व 0.1740 है0 नहरी कृषि भूमि कुल किता 3 की 0.597 है0 में भूमि के अनुसार 0.572 है0 नहरी कृषि भूमि एवं 0.025 गैरमुमकिन रास्ता तथा मु0नं0 23 के किला नं0 11 की 0.089 है0 किला नं0 19 की 0.025 है0 किला नं0 20 की 0.215 है0 किला नं0 21 की 0.253 है0 किला नं0 22 की 0.177 है0 नहरी, कुल किता 5 की 0.769 है0 नहरी कृषि भूमि तथा मु0नं0 25 के किला नं0 1/1 की 0.060 है0 किला नं0 2/1 की 0.060 है0 किला नं0 3/1 की 0.060 है0 कुल किता 3 की 0.1800 है0 कृषि भूमि कुल किता 11 की कुल क्षेत्रफल 1.5360 है0 जिसमें 1.5110 है0 नहरी कृषि भूमि व 0.025 है0 गैरमुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड हाल जमाबन्दी में सायल के नाम खातेदारी दर्ज है।

उपरोक्त खातेदारी वादी की दादालाई कृषि भूमि है तथा उक्त कृषि भूमि वादी के दादा पड़दादा के समय की करीब 80 वर्ष से खातेदारी चली आ रही है तथा सायल का उक्त रकबा राजस्थान व हरियाणा सीमा पर स्थित है। सायल की खातेदारी राजस्थान व हरियाणा प्रान्त के विभाजन से पूर्व एव सीमांकन के समय से स्थित है। सायल की खातेदारी राजस्थान सीमा तक चिपते हुये है एवं वादी व प्रतिवादी की सींव डोल ही राजस्थान व हरियाणा प्रान्त की सीमा है। उक्त सीमा के चिपते ही हरियाणा प्रान्त में प्रतिवादी की कृषि भूमि है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (हनुमानगढ़)

सायल व गैरसायल के खेतों के बीच राजस्थान व पंजाब राज्य की राज्यों के गठन के समय की पुरानी सीमा स्थित है जो सायल व गैरसायल के खेतों के बीच स्पष्ट रूप से सींव डोल बनी हुई है तथा सायल अपने खेत में सींव डोल व दोनों राज्यों की सीमा के नजदीक बेर व जांटी का पेड़ लगा रहा है तथा सीमा दोनों के खेतों के बीच में सीधी है तथा उक्त सीमा ही सायल व गैरसायल के खेतों के बीच सींव डोल है जिस पर काफी घास, दूब व कंटीले गत करीब 80 वर्षो से खड़े है। सायल का खेत उंचा पड़ता है एवं प्रतिवादी का खेत नीचे स्थित है जिससे सीवं डोल स्पष्ट है।

उक्त खाता मे मु0नं0 22, 23, 25 की कृषि भूमि सायल की दादालाई कृषि भूमि हैं जो करीब 80 वर्षो से काश्त करते चले आ रहे है दौराने भू सैटलमेन्ट विभाग द्वारा उक्त भूमि का एकीकरण किया तब बिस्वा से छोटी ईकाई एकीकरण विभाग के पास नहीं थी, तब मु0नं0 22, 23, 25 में बिस्वा से कम कृषि भूमि रह गई थी जिसका भू–सैटलमेन्ट विभाग द्वारा एकीकरण नहीं किया गया जो राजस्थान में है व हरियाणा सीमा के चिपते हुवे है जो राज0 काश्त0 अधिनियम लागू होन के दिन वादी के कब्जा काश्त में थी वादी सायल उक्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार एकीकरण के समय हो गया था परन्तु विभाग द्वार सहबन शेष रही भूमि का सायल को खातेदार दर्ज किया एवं ना ही एकीकरण विभाग द्वारा उक्त भूमि का कोई राजस्व रिकार्ड तैयार किया जो अलग अलग मुरबा नम्बरों में होने के कारण जो एक बिस्वा की यूनिट नहीं बन सकी और भू–सैटलमेन्ट विभाग द्वारा मुरबा किलों में शामिल नहीं किया गया अत : सायल उक्त शेष रही कृषि भूमि की हैक्टरों में पैमाईश करवाकर सायल स्वयं को उक्त भूमि का खातेदार घोषित करवा पाने का मजाज कानूनी है।

दरख्वास्त पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने जबाब दरख्वास्त पेश कर कथन किया कि कृषि भूमि हरियाणा व राजस्थान के सीमा पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी की भूमि होना स्वीकार है। प्रार्थी व अप्रार्थी के खेतों के मध्य सीमा स्थित होना स्वीकार है। मगर उपरोक्त सीमा पर बेर, जांटी के पेड़ लगा रखा है अस्वीकार है। सायल की भूमि मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है मगर सहबन से अप्रार्थी की भूमि मु0नं0 22, 23, 25 में बिस्वा से कम भूमि रह गई थी, जिसका भू सेटलमेन्ट विभाग द्वारा एकीकरण नहीं किया गया जो भूमि राजस्थान में है वह हरियाणा सीमा के चिपते हुए है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के दिन प्रार्थी के कब्जा काश्त में थी। प्रार्थी उक्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार एकीकरण से हो गया परन्तु सहबन से शेष भूमि का प्रार्थी को खातेदार दर्ज किया एवं ना ही राजस्व रिकार्ड तैयार किया जो अलग अलग किया, मुरब्बा नम्बरों में होने के कारण एक बिस्वा भूमि नहीं बन सकी और भू सेटलमेन्ट विभाग द्वारा मुरब्बा किलो में शामिल नहीं किया गया। शेष रही भूमि की पैमाईस करवा कर वादी स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का कानूनी मजाज है अंकित तथ्य अस्वीकार है व अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की कब्जा काश्त भूमि में व अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई अतिक्रमण व सींव डोल के साथ कोई छेड़छाड नहीं की, जबकि प्रार्थी स्वयं सींव डोल के साथ अक्षर छेड़छाड़ करता रहता है, इसलिए अपूर्णिय क्षति प्रार्थी को ना होकर अप्रार्थी को हुई है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

सायल का वाद प्रथम दृष्टया साबित नहीं है व सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णिय क्षति सायल के पक्ष में न होकर अप्रार्थी के पक्ष में है, क्योंकि अप्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि की पैमाईस श्रीमान नायब तहसीलदार नाथूसरी चोपटा से करवा कर सींव डोल व रास्ता तैय किया हुआ है। प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य जो सींव डोल है उस सींव डोल के पास एक रास्ता है इसलिए अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से सींव डोल के साथ छेड़छाड़ कराना सम्भव नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है।

माननीय न्यायालय को उक्त दावा सुनने का अधिकार नहीं है क्योंकि अप्रार्थी की भूमि हरियाणा प्रान्त में पड़ती है।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी का खेत हरियाणा राज्य की सीमा पर है। अप्रार्थी द्वारा हरियाणा राज्य में विधिक प्रक्रिया अपनाकर अपनी भूमि का सीमांकन करवाया गया है। प्रार्थी भी अपनी भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाने हेतु स्वतंत्र है। प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि प्रार्थी ने सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी की कार्यवाही संपादित करवाई हो। प्रार्थी यह साबित करने में असफल रहा है कि अप्रार्थी द्वारा किसी अविधिक तरीके से उसके कब्जा काश्त में दखलन्दाजी की जा रही हो। इस प्रकार प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में असफल रहा है।

चूंकि : प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में प्रार्थी असफल रहा है। इसलिए प्रार्थी को असुविधा एवं अपूर्णिय क्षति होना भी संभव प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार प्रार्थी अपने द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात से अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू साबित करने में असफल रहा है।

अत : दरख्वास्त प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28/2/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ